न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2022/707

01. रामधन पुत्र डेडा जाति अहीर,
02. रामदयाल पुत्र डेडा जाति अहीर,
03. अनूप सिंह पुत्र घडसीराम
04. उमराव दत्तक पुत्र धन्नाराम
05. जगमाल पुत्र पालाराम
06. रामकरण पुत्र पालाराम
07. मक्खनलाल पुत्र पालाराम
08. प्रहलाद पुत्र छोटूराम
09. ललिता पुत्री रतिराम
10. महेन्द्र पुत्र हरीसिंह
11. महावीर पुत्र मूलचन्द
12. सुल्तान पुत्र डालू
13. हनुमान पुत्र भूरा समस्त जाति यादव अहीर समस्त निवासीयान ग्राम कंवरपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।
14. छीतर पुत्र ग्यारसा जाति चमार निवासी ग्राम भालोजी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।
15. गौकुल पुत्र ग्यारसा जाति चमार निवासी ग्राम भालोजी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।
16. बनवारी पुत्र भूरा जाति चमार निवासी ग्राम भालोजी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।

––अपीलान्टस्

बनाम

01. उर्मिला बंसल पुत्री इन्द्रसेन गोयल जाति महाजन निवासी विवेकानन्द पल्ली, बेना सिटी, दुर्गापुरा, (वेस्ट बंगाल)
02. विष्णु मित्तल पुत्र बिहारीलाल जाति महाजन निवासी गुजरात विहार, नई दिल्ली।
03. सीमा मित्तल पत्नि विष्णु मित्तल जाति महाजन निवासी गुजरात विहार, नई दिल्ली।
04. उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।
05. तहसीलदार, कोटपूतली तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।

–––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री हेमन्त दीक्षित एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 26.12.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.08.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि आज्ञा जैर अपील पूर्णतया विधि विधान पत्रावली एवं तथ्यों के विपरित तथा न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय है क्योंकित अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर कतई ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्टस आराजी खसरा नम्बर 425, 429, 433, 474 आदि के काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा उन्हें सीमाज्ञान से पूर्व कतई कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एकपक्षीय रूप से रेस्पोडेन्टस सं0 एक प्रार्थिया उर्मिला देवी का प्रार्थना पत्र संख्या 11/22 पत्थरगढी स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर कानूनी भूल की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली को ऐसे विवादित प्रकरण में पत्थरगढ़ी की कार्यवाही आर.बी. जे. 2017, पेज सं0 270 के अनुसार समस्त खातेदारों को नोटिस देकर मौके पर बुलाकर सभी की उपस्थिति में स्वयं को ही मौके पर जाकर सीमाज्ञान कराते हुए पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करनी चाहिए थी, किन्तु ऐसा नहीं करते हुए जिस ढंग से तहसीलदार द्वारा जो कार्यवाही करायी गई है, वो सरासर कानून के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। उन्होने आगे कथन किया है कि तहसीलदार, कोटपूतली ने प्रार्थीगण अपीलान्टस को नोटिस दिनांक 06.10.2022 को पत्थरगढी दिनांक 11.10.22 को राजस्व टीम से कराने हेतु जारी किया, जो आज तक नहीं मिला, किन्तु फिर भी उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली ने दिनांक 25.08.2022 को तहसीलदार, कोटपूतली को निर्णय दिनांक 12.08.2022 के निर्णय की पालना करने हेतु पत्र जारी कर दिया, जबकि स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12.08.2022 को धारा–151 में दिनांक 26.08.2022 को टंकण त्रुटि को दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था तथा रेस्पा0 सं0 3. ने जो प्रा.पत्र दिनांक 13.06.2022 को पत्थरगढी हेतु पेश किया था, वह मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 26.05.2022 के आधार पर कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जबकि सम्पूर्ण प्रकरण में उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट दि0 26.05.2022 के बारे में कतई कोई विवेचन तक नहीं किया गया है, इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रसारित आज्ञा जैर अपील पूर्णतया एकपक्षीय एवं न्याय के सिद्वान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्टस को आज्ञा जैर अपील की सर्व प्रथम जानकारी दि0 26.11.22 को रेस्पाडेन्ट नंबर–1 द्वारा मौके पर आकर यह धमकी देने पर हुई कि मैने उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली से पत्थरगढी कराने का आदेश प्राप्त कर लिया है तथा अब तुम्हें भूमि पर काश्त नहीं करने दूंगी तथा तुम्हें उक्त भूमि से बेदखल कराके कब्जा अपने खेत में भूमि को शामिल करा लूंगी जिस पर अपीलार्थीगण अगले ही दिन कोटपूतली जाकर अभिभाषक नियुक्त करके समस्त कार्यवाही की जानकारी प्राप्त करके उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के यहां उक्त पत्थरगढी के प्रकरण सं0 11/2022 की फाईल तलाश कराके समस्त कार्यवाही की नकलें प्राप्त की, तथा कोटपूतली के वकील की राय से जयपुर आकर वकील नियुक्त करके अपील की कार्यवाही की, इस कारण से उक्त अपील नकल प्रस्तुत करने के प्रार्थना पत्र दिनांक 28.11.22 व नकल प्राप्ति की तिथि 30.11.2022 से अवधि अन्तर्गत प्रस्तुत की जा रही है, इस कारण अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब जानबूझकर, लापरवाहीवश नहीं, बल्कि सदभावनावश जानकारी के अभाव में हुआ है, जो न्याय हित में उदारता का दृष्टिकोण अपनाते हुए क्षमा फरमावें तथा अपील जानकारी एवं नकल प्राप्ति की

P.T.O.

तिथि से अन्दर मयाद शुमार की जाकर मैरिट्स (गुणावगुणों) पर निर्णित फरमावें एवं उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर आज्ञा जैर अपील उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली दिनांक 12.08.22 एवं संशोधित आदेश दिनांक 26.8.22 निरस्त फरमाया जावे तथा प्रार्थना पत्र संख्या 11/2022 निरस्त फरमाया जावे तथा प्रकरण पुनः दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मौके की सीमाज्ञान कराते हुए पत्थरगढी किये जाने के निर्देश सहित प्रतिप्रेषित फरमावें।

हमने पत्रावली क अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि तहसीलदार कोटपूतली के पत्रांक 4225–4249 दिनांक 06.10.2022 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय की पालना हेतु नोटिस जारी किये गये है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थीगण प्रकरण में प्रभावित पक्षकार है जिन्हे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली एवं तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.02.2022 की पालना नही की गई है तो पत्थरगढी की कार्यवाही के दौरान अपीलार्थीगण की आरांजी की भी नियमानुसार पैमाईश की जाकर अपीलार्थीगण की उपस्थित पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पादित की जावें।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त, 26/12/23
जयपुर।